

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 56/2018

दिनांक:- 16/05/2018

:: निर्णय / डिक्री ::

श्री शंकर तुलसी पारी सविता श. जगन्नाथ मोशी रोष जगन्नाथ डि डु डि. कट.  
सह खातेदारों ने न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत कम्पे सिद्धी खेरावाडा में उपस्थित  
होकर सहमति बटवारा करने हेतु वाद पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।  
सहखातेदारों द्वारा ग्राम सिद्धी खेरावाडा की जमाबंदी संवत् 2071-74 की  
जमाबंदी की प्रमाणित प्रति तथा बटवारा स्कीम जिसमें प्रत्येक का आने वाला हिस्सा एवं  
लगान को दर्शाया गया है तथा नक्शा ट्रेस जिसमें प्रत्येक के आने वाले हिस्सों को पृथक -2  
रंग से दर्शाया गया है प्रस्तुत किया गया। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस के संबंध में पटवारी  
हल्का एवं मू०अ० निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट ली गई। एवं तहसीलदार द्वारा सहमति अनुसार बटवारों  
की अभिशंषा की गई।

ग्राम सिद्धी खेरावाडा पटवार हल्का सिद्धी खेरावाडा की जमाबंदी संवत् 2071-74  
की प्रमाणित प्रति अनुसार खाता संख्या 115 नया 34 पुराना खसरा नं० 1926  
1927, 2045, 2046, 2050, 2064, 2497, 2498 योग किता 8 योग रकबा ...  
5 बीघा 10 बिस्वा में श्री शंकर तुलसी पारी सविता श. जगन्नाथ रोष बटवारा

सहखातेदार है। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। अतः आदेश दिया  
जाता है कि ग्राम सिद्धी खेरावाडा के खाता नं० 115 नया 34 पुराना के  
खसरा नं० 1926, 1927, 2045, 2046, 2050, 2064, 2497, 2498 योग किता 8 योग  
रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा का सहखातेदारों के मध्य प्रस्तुत बटवारा  
स्कीम एवं नक्शा ट्रेस अनुसार बटवारा किया जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर निर्णय / डिक्री की  
पालना सुनिश्चित कर राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल-दरामद की कार्यवाही करे।  
बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस निर्णय/डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी  
डूंगरपुर

शंकर